प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 30.11.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- चोरी करने के 02 आरोपीगण गिरफ्तार थाना काँठः-

अवगत कराना है कि दिनांक 22.10.2024 को वादी मुनिराज सिंह पुत्र कृपाल सिंह निवासी मौ0 पट्टी मौढ़ा कस्बा काँठ व थाना काँठ जनपद मुरादाबाद ने आरोपीगण द्वारा वादी की लाईब्रेरी राघव अध्यन सेंटर से काउन्टर में रखे 11000/- रुपये, लाईब्रेरी की मोहर, अन्य सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना काँठ पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 412/2024 धारा- 305(a) बीएनएस बनाम देवेन्द्र उर्फ भोलू आदि के पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांक 29.11.2024 की रात्रि को उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह थाना काँठ द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्तगण1.देवेन्द्र उर्फ भोलू पुत्र रामभरोसे निवासी मौ0 घोसीपुरा कस्बा व थाना काँठ जनपद मुरादाबाद, 2.मनीष उर्फ मोहित विश्नोई पुत्र राजपाल सिंह विश्नोई निवासी मौहल्ला फकीरगंज कस्बा व थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से एक स्टाम्प मोहर व 1000/- रुपये बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2- थाना भगतपुर पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के 02 आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 30.11.2024 को **थाना भगतपुर पुलिस** द्वारा आरोपीगण1- उस्मान पुत्र बब्न अली निवासी ग्राम बिलावाला थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद, 2- मुन्तियाज पुत्र मुख्तियार निवासी ग्राम बिलावाला थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।